राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1304/2015/नागौर.
2. अपील संख्या – 1305/2015/नागौर.
3. अपील संख्या – 1549/2015/नागौर.
4. अपील संख्या – 1550/2015/नागौर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–नागौर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. मैसर्स राठी सेल्स,
अजमेर रोड, नागौर (अपील संख्या–1304 व 1305/15)
2. मैसर्स धारणिया ऑटोमोबाइल्स,
जोधपुर रोड़, नागौर (अपील संख्या–1549 व 1550/15)

.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पी.एम.चौपड़ा
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये चारों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ गुड्स इन्टु लोकल एरियाज एक्ट, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) के तहत पारित आदेश दिनांक 30.04.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–नागौर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार करते हुए, प्रवेश कर अधिनियम के तहत आरोपित मांग राशियों में से शास्ति को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर निर्धारण वर्ष	शास्ति
1304/2015	03.07.2008	2007–08	11,01,937/–
1305/2015	05.02.2009	2008–09	5,59,078/–
1549/2015	05.02.2009	2008–09	25,87,500/–
1550/2015	03.07.2008	2007–08	23,98,750/–

लगातार.....2

2. अपीलों के तथ्य समान होने से प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारीयों द्वारा राज्य के बाहर से वाहनों की खरीद की जाने पर प्रवेश कर अधिनियम के तहत देय कर जमा नहीं कराये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक प्रतिशत की दर से कर एवं अनुवृति ब्याज का आरोपण किया गया तथा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12(5) के तहत विवरण पत्र पेश नहीं करने से कर राशि की डेढ़ गुना शास्ति आरोपित की गई। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुये पुनः गणना के आदेश दिये गये परन्तु शास्ति को अपास्त किया गया है। शास्ति अपास्त किये जाने से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से यें अपीलें प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गई व रेकार्ड का अवलोकन किया गया प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा भी इसी वर्ष वेवर स्कीम लाते हुये समस्त शास्तियों की मांग राशियां वेव की जा चुकी है। इसके अलावा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लम्बित होने के कारण कर नहीं जमा कराया था, परन्तु किसी भी तरह के तथ्य छुपाये जाने का कृत्य नहीं किया था। अतः शास्ति का आरोपण अनुचित था।

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि व्यवसायी मोटर वाहनों की खरीद—बिक्री का कार्य करते है, जिनके खरीद संव्यवहारों को लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट किया हुआ था एवं वैट अधिनियम के तहत प्रस्तुत विवरण पत्रों में इनकी घोषणा की हुई थी। इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के **श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01** के निर्णय के आलोक में शास्ति को अपास्त किया गया है। उल्लेखनीय यह है कि प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12(5) के तहत शास्ति के प्रावधान में कर निर्धारण अधिकारी को विवेकिय शक्ति प्रदान की हुई है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय को उचित नहीं माना है, क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारियों को शास्ति के संबंध में कोई विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया तथा अपीलार्थियों द्वारा प्रवेश कर अधिनियम की वैधता को सिविल रिट पिटिशन

लगातार.....3

संख्या 1310/2008 मैसर्स राठी सेल्स बनाम राज. सरकार तथा रिट संख्या 1219/2008 मैसर्स धारणियां ऑटोमोबाइल्स दिनांक 12.03.2008 को प्रस्तुत की हुई थी, ऐसी स्थिति में वैधानिक विवाद के कारण प्रवेश कर के विवरण पत्र पेश नहीं हुये थे। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारियों के विरुद्ध शास्ति आरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं माना गया है। इस संबंध में अपीलीय आदेश में कोई अविधिकता न होने से किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुये विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

23/11/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष